पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 374/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-25.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना-रौनापार:-नीलगाय मारने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद नाजायज तमंचा व कारतूस बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

दिनांक 24.12.2024 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 23.12.2024 की रात समय करीब 10.30 बजे अभियुक्तों 01. फिरोज अहमद पुत्र मु0 शोएब निवासी चाँदपट्टी मेहरा थाना रौनापार आजमगढ़ 02. मो0 अरमान पुत्र नसरूद्दीन निवासी चाँदपट्टी मेहरा थाना रौनापार आजमगढ़ 03.अब्दुल रब पुत्र रेयाज अहमद निवासी चाँदपट्टी मेहरा थाना रौनापार आजमगढ़ 04. मंगर पुत्र खालिद निवासी चाँदपट्टी मेहरा थाना रौनापार आजमगढ़ 05.अम्मार शेख पुत्र फिरोज अहमद निवासी चाँदपट्टी मेहरा थाना रौनापार आजमगढ़ 06. फहद पुत्र अज्ञात निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा आहट पाकर वादी के घर के सामने वाले खेत में नीलगाय को पटककर क्रूरता पूर्वक गला काट रहे थे वादी की आवाज सुनकर सभी लोग वादी को इस बात की सूचना किसी को दिये जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से भाग गये। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 478/24 धारा 325,351(2) बी.एन.एस व 51 वन जीव सरक्षण अधि0, 11 पशु क्रुरता अधि0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 25.12.2024 को व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह द्वारा अभियुक्त फिरोज अहमद पुत्र मो0 शोएब साकिन चाँदपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ को कोईराना मोड़ चांदपट्टी से समय करीब 05.15 बजे एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 479/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित एक अन्य अभियुक्त मो0 अरमान पुत्र नसरूद्दीन साकिन चाँदपट्टी मेहरा थाना रौनापार आजमगढ़ को उ0नि0 विवेक सिंह मय हमराह द्वारा जोकहरा पुल से टेकनपुर रोड पर 100 मीटर आगे से सुबह समय करीब 05.30 बजे एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 480/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- 01. मु0अ0सं0 480/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहासः-

01. मो0 अरमान पुत्र नसरूद्दीन साकिन चाँदपट्टी मेहरा थाना रौनापार आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 479/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 315/2017 धारा 147, 148, 323, 325, 452, 504, 506 थाना रौनापार आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 478/24 धारा 325,351(2) बी.एन.एस व 51 वन जीव सरक्षण अधि0, 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना रौनापार आजमगढ़

02. फिरोज अहमद पुत्र मो0 शोएब साकिन चाँदपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 479/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 478/24 धारा 325,351(2) बी.एन.एस व 51 वन जीव सरक्षण अधि0, 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना रौनापार आजमगढ़।

02.थाना-रौनापारः-दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

दिनांक 15.12.24 को वादी द्वारा थाने परु आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त सूरज पासवान पुत्र राजकुमार पासवान निवासी ग्राम गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय मु0अ0सं0 468/2024 धारा 137(2)/87 बी.एन.एस. बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64BNS व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 25.12.24 को उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सूरज पासवान पुत्र राजकुमार पासवान निवासी ग्राम गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष को कांखभार बाजार से समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03.थाना-जीयनपुरः- चोरी करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 02 अदद अंगूठी, 01 अदद चेन, कुल 81012 रूपये नगद, 03 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त सूजा बरामद*

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरणः-

➡ दिनांक 24.06.2024 को आवेदिका अम्बालिका राय पत्नी विनयानन्द राय निवासिनी ग्राम फरसरा खुर्द जनपद मऊ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि जब वह दिनांक 23.06.2024 को भँवरनाथ से दोहरीघाट के लिये टेम्पो से जा रही थी तब टेम्पो चालक द्वारा वादिनी को जीयनपुर में उतार दिया गया इसी दौरान जब वादिनी द्वारा अपने बैग को चेक किया गया तो वादिनी के बैग में रखा पूरा गहना 02 सोने की चेन, 02 सोने का कंगन, सोने का हार, कान की बाली झाला सोने का, 06 सोने की अँगुठी, सोने की नथीया,माँगटीका व मंगल सूत्र सोने का गायब हो गया था। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 0296/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 18.10.2024 को एफआईआर काउण्टर कार्यालय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से प्राप्त प्रार्थना पत्र में आवेदिका रीमा पुत्र रामविलास यादव निवासिनी ग्राम खतिरपुर पोस्ट सगडी थाना जीयनपुर द्वारा बताया गया कि वादिनी किराये के मकान में बलरामपुर में रहती है। दिनांक 07.10.2024 को लगभग 11.30 बजे वादिनी बलरामपुर से अपने घर टेम्पो से जा रही थी तभी हाफिजपुर चौराहे से दो बुर्काधारी महिला आटो में जीयनपुर जाने के लिए बैठी लेकिन बीच रास्ते में ही उतर गयी। जब महिला आटो से उतरकर अपना बैग देखी तो उसका बैग काटकर उसमें रखा हुआ गहना चैन-3 कान का-3 एक पायल बिछिया निकाल लिया गया था। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 476/2024 धारा 303(2)BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 25.12.2024 को उ0नि0 अभिषेक यादव, उ0नि0 श्यामजी यादव मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र में भ्रमणशील था तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 1.सल्टूराम पुत्र रामचरन राम उम्र 58 वर्ष निवासी नसीरुद्दीनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2.सुरेन्द्र कुमार पुत्र समारु राम उम्र 42 वर्ष निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.राजन कुमार पुत्र चन्द्रिका राम उम्र 28 वर्ष निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 4. जयभीम पुत्र महेन्द्र राम उम्र 28 वर्ष निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 5. एसपी कुमार पुत्र हरिनाम उम्र 20 वर्ष निवासी नदौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को अंजानशहीद जाने वाली रोड से समय करीब 08.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की जामा तलाशी में अभियुक्त सल्टूराम के पास कुल 11,500 रु0 नगद व एक अदद सैंमसंग मोबाईल, अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार के पास से कुल 23,200 रु0 नगद, राजन के पास से एक अदद अंगुठी सफेद धातु व कुल 10,500 रु0 नगद व एक अदद सुजा लोहे का , अभियुक्त जयभीम के कुल 21,012 रु0 नगद, एक अंगुठी, एक चैन सफेद धातु की व एक अदद मोबाईल, अभियुक्त एसपी के पास से कुल 14,800 रु0 नगद, एक कलाई घड़ी व एक अदद मोबाईल सैमसंग बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.सल्टूराम पुत्र रामचरन राम उम्र 58 वर्ष निवासी नसीरुद्दीनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

01.मु0अ0स0 296/24 धारा 379 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02. मु0अ0स0 476/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2.सुरेन्द्र कुमार पुत्र समारु राम उम्र 42 वर्ष निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

01मु0अ0स0 296/24 धारा 379 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02. मु0अ0स0 476/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

03. मु0अ0स082/2024 धारा 379/411भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

3.राजन कुमार पुत्र चन्द्रिका राम उम्र 28 वर्ष निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

01.मु0अ0स0 296/24 धारा 379 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02. मु0अ0स0 476/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

4. जयभीम पुत्र महेन्द्र राम उम्र 28 वर्ष निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

01.मु0अ0स0 296/24 धारा 379 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02. मु0अ0स0 476/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

5. एसपी कुमार पुत्र हरिनाम उम्र 20 वर्ष निवासी नदौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

01.मु0अ0स0 296/24 धारा 379 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02. मु0अ0स0 476/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

01. कुल 81012 रूपये नगद

02. 02 अंगूठी सफेद धातु

03. 01 चेन सफेद धातु

04. घटना में प्रयुक्त लोहे का सूजा

05. 03 अदद मोबाइल फोन

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि हम लोग संजय यादव पुत्र केशनाथ यादव ग्राम गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ का टेम्पू न0- UP50CT5614 को किराये पर लिया हूँ और उसी को सल्टूराम आजमगढ़ से दोहरीघाट के लिए सवारी लेकर जाता है जिसमें रास्ते में हमारे अन्य साथी भी आटो में बैठ जाते है व आटो में बैठे सवारी का सामान सावधानी पूर्वक हम लोगों द्वारा चोरी कर लिया जाता था तथा बाद में उसे आपस में बाँट लेते है।

04.थाना-जीयनपुर:- दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 02.04.2024 को आवेदक द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त विवेक यादव पुत्र राजेश यादव ग्राम सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ का वादी के गाँव में अपने रिश्तेदार के घर आना-जाना था वहीं से अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग बहन को दिनांक 31/03/24 की सुबह 05.00 बजे बहला फूसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 127/2024 धारा 363 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त विवेक से पूँछताछ की गयी तो विवेक द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा वादी की पुत्री से न तो बात किया जाता था न ही उसे भगाया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी व बयान के आधार पर अभियुक्त अजय पुत्र स्व0 राजू निवासी ग्राम जकसिया थाना कदौरा जनपद जालौन का नाम प्रकाश में आया व धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 25.12.2024 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अजय पुत्र स्व0 राजू निवासी ग्राम जकसिया थाना कदौरा जनपद जालौन को जीयनपुर चौक बस स्टैण्ट के पास से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।